



माननीय न्यायालय राजस्व मण्डल ग्वालियर म0प्र0

प्रकरण क्रमांक 2017 पुनरीक्षण

121243-PB217

श्रीमति गंगाबाई पति स्व. बंसीतीलाल आयु
70 वर्ष धंधा कृषि निवासी ग्राम जैथल
तहसील घटिदूया जिला उज्जैन

गंगाबाई उज्जैन
घटिदूया
2014-17

.....पुनरीक्षण/आवेदिकागण

विरुद्ध

(1) गजेन्द्र पिता मेहरवान सिंह आयु 35 वर्ष
धंधा कृषि निवासी ग्राम जैथल तहसील
घटिदूया जिला उज्जैन।

(2) मध्य शासन

..... प्रत्यार्थी/ अनावेदिकागण

पुनरीक्षण अंतर्गत धारा 50 भू-राजस्व संहिता 1959 के अंतर्गत

(प्रकरण क्रमांक 08/ अ.13/15-16 श्रीमति गंगाबाई विरुद्ध गजेन्द्र के प्रकरण में पारित आदेश
दिनांक 15/02/2017 से असंतुष्ट होकर प्रस्तुत है।)

माननीय महोदय

माननीय न्यायालय के समक्ष पुनरीक्षण/आवेदिकागण की निम्नानुसार प्रस्तुत हैं

प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य

01 यह कि आवेदिकागण के स्वामित्व व आधिपत्य की कृषि भूमि स्थित ग्राम जैथल तहसील
घटिदूया जिला उज्जैन पर स्थित है जिसका सर्वे क्रमांक 233/2 रकबा 01.07 है तथा राजस्व
अभिलेखों में भूमि स्वामि के रूप में दर्ज है और जिसका खसरा 2014-15 तक तथा वर्तमान में
आवेदिकागण का नाम अभिलेखों में भूमि स्वामि के रूप में दर्ज है।

चर्तुःसीमा निम्नानुसार है।

(5)

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक - R 1243/PBR/11

जिला - झाँसी

स्थान एवं दिनांक

कार्यवाही तथा आदेश

पक्षकारों एवं अभिभाषकों
आदि के हस्ताक्षर

31.07.18

आवेदक की ओर से यह निगरानी... (तहसील/जिला) के प्रकरण क्रमांक 08/31-13/15-16 में पारित आदेश दिनांक 5-2-18 के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है। म.प्र. भू-राजस्व संहिता में दिनांक 25.09.2018 को हुए संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संशोधित संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अंतर्गत यह प्रकरण सुनवाई हेतु कलेक्टर झाँसी को भेजा जाता है। उभयपक्ष प्रकरण में सुनवाई हेतु दिनांक 14.10.18 को कलेक्टर झाँसी के समक्ष उपस्थित हों।

(महेश चन्द्र चौधरी)
सदस्य